सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 26/2023

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. अमरजीत कौर पत्नी स्व. श्री हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सर्वजीत कौर पुत्री स्व. श्री हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कर्मजीत कौर पत्नी स्व. श्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
5. तहसीलदार(राजस्व) पूगल।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–11.02.2023

वादीगण सुखविन्द्र सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण अमरजीत कौर वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी सं. 1 की माता एवं वादी सं. 2 की दादी, प्रतिवादीया सं. 2 वादी सं. 1 की बहिन एवं वादी सं. 2 की बुआ एवं प्रतिवादीया सं. 3 वादी सं. 1 की भाभी एवं वादी सं. 2 की माता है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता, वादी सं. 2 के दादा, प्रतिवादी सं. 1 के पति, प्रतिवादी सं. 3 के ससुर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/112 जमाबन्दी

लगातार ––2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सम्वत् 2073–76 में 1.0143 है. कृषि भूमि, इसी चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 149/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.759 है. कृषि भूमि, चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 62/59 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.632 है. कृषि भूमि तथा इसके अलावा तहसील पूगल के ग्राम 9 के.एच.एम. के खाता सं. 84/69 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में 6.196 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां एवं स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्रप्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त कृषि भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीगण के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का उक्त कृषि भूमि में कोई भी हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :–

(क) वादी सं. 1 सुखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/112 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.633 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 62/59 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.632 है. कृषि भूमि

तहसील पूगल के ग्राम 9 के.एच.एम. के खाता सं. 84/69 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में 6.196 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/112 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.3813 है. कृषि भूमि

लगातार ––3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 149/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.759 है. कृषि भूमि
तहसील पूगल के ग्राम 9 के.एच.एम. के खाता सं. 84/69 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में 6.196 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को प्रश्नगत् कृषि भूमि जो स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण ने प्रतिवादीगण को वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित बंटवारानुसार दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया तथा प्रतिवादी सं. 5 की तामिल होने की डिलीवरी रिपोर्ट पेश हुई। जो शामिल मिसल की गई। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/112 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76, चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 149/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76, चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 62/59 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 एवं तहसील पूगल के ग्राम 9 के. एच.एम. के खाता सं. 84/69 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श–1 ता 4 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र

लगातार ––4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता, वादी सं. 2 के दादा, प्रतिवादी सं. 1 के पति, प्रतिवादी सं. 3 के ससुर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/112 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.0143 है. कृषि भूमि, इसी चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 149/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.759 है. कृषि भूमि, चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 62/59 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.632 है. कृषि भूमि तथा इसके अलावा तहसील पूगल के ग्राम 9 के.एच.एम. के खाता सं. 84/69 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 6.196 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/112 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 149/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 62/59 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 एवं तहसील पूगल के ग्राम 9 के.एच.एम. के खाता सं. 84/69 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/112 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.0143 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 0.633 है. कृषि भूमि का एवं वादी सं. 2 को 0.3813 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 149/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 2

लगातार --5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 62/59 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.632 है. कृषि भूमि का वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदित सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार तहसील पूगल के ग्राम 9 के.एच.एम. के खाता सं. 84/69 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में 6.196 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 26/2023

---

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. अमरजीत कौर पत्नी स्व. श्री हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सर्वजीत कौर पुत्री स्व. श्री हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कर्मजीत कौर पत्नी स्व. श्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
5. तहसीलदार(राजस्व) पूगल।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 11.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 बी. जी.पी. के खाता सं. 27/112 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.0143 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 0.633 है. कृषि भूमि का एवं वादी सं. 2 को 0.3813 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 149/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित

लगातार --2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 62/59 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.632 है. कृषि भूमि का वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदित सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार तहसील पूगल के ग्राम 9 के.एच.एम. के खाता सं. 84/69 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में 6.196 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री हमीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....×..... निल ....×..... मुब्लिक ....×........निल ......×...... बाबत् ....
...×...निल......×....... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक 11.02. 2023** को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया